5 रु. भारत पाँच रुपये   5 रु. भारत पाँच रुपये   5 रु. भारत पाँच रुपये   5 रु. भारत पाँच रुपये   10 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

भोपाल निगरानी–5308/2018/भोपाल/भू.रा. प्र. क्र.निगरानी– /पीबीआर/18

1. तखतसिहं आ0 श्री प्रहलादसिहं
2. मोहनसिहं आ0 श्री तखतसिहं

निवासीगण ग्राम रायपुर तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0

....आवेदकगण

विरुद्ध

नारायणसिहं आ0 श्री प्रहलादसिहं
निवासी ग्राम रायपुर तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0

....अनावेदक

म0प्र भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदकगण 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 87/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 07/08/18 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश पारित होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

श्री प्रेमसिंह ठाकुर अभिभाषक द्वारा आज दि. 21/8/2018 को पेश।

आयुक्त कार्या. भोपाल द्वारा

243

(2)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5308/2018/भोपाल/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-18	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर आवेदक के द्वारा म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 49(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	